

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक: प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2015/ 111026

दिनांक- 1/12/23

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 15.06.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, जयपुर महानगर द्वितीय को अपील किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय के रूप में गठित करती हैं, तथा इनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती हैं:-

क्र.सं.	अपील किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 एवं अपील किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर द्वितीय न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगर निगम क्षेत्र

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/22/2023/...1884

Date: 11/12/2023

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The District & Sessions Judge, Jaipur Metro.-II.
3. The Chief Metropolitan Magistrate, Jaipur Metro.-II.
4. The Additional District Judge No.3, Jaipur Metro.-II.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

 11.12.2023

REGISTRAR (RULES)